

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@Rediffmail.com

पत्रांक 671 / चार-प्रावि0 / वन भूमि / पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2016-17, दिनांक- 4 / 11 / 2016,
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

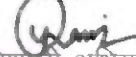
विशय:- बुगीधार मेहलचौरी से बहुवाबाण मोटर मार्ग के किमी0 25 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि बुगीधार मेहलचौरी से बहुवाबाण मोटर मार्ग के सम्बन्ध में E.D.S.Date-14-10-2016, FP/UK/ROAD/10762/2015 के सम्बन्ध में चाही गई सूचना संशोधित कर निम्नानुसार आपकी सेवा में सादर प्रेषित है:-

क्र.सं.	E.D.S. R.O.	Reply by User Agency
1	Short narrative of the Project does not give adequate information in part-I.	Part-I के column A-1(iii) में संशोधन कर दिया गया है।
2	Total period for which the forest land to be diverted is not mentioned in in Part-I.	Part-I के column A-1(x) में संशोधन कर "99 years" upload कर दिया गया है।
3	The authority letter is not uploaded in favour of applicant in Part-I.	Part-I के column A-3(xvii) में संशोधन कर upload कर दिया गया है।
4	GPS coordinate marked digitally on GIS software generated georeferenced map for the area proposed for diversion in 200-300m distance and each turn of the proposed road and be uploaded in the designated place in Part-I.	Part-I के column C -(iv) में संशोधन कर upload कर दिया गया है एवं पेज न0 01 में संलग्न है।
5	GPS coordinate marked digitally on georeferenced map for every corner of land proposed for CA is not provided. It should be uploaded in the designated place in Part I.	Part-I के column L-(vi) में संशोधन कर upload कर दिया गया है एवं पेज न0 02 में संलग्न है।
6	CA stipulation is not commensurate with the total forest land diverted in the district in Part II need justification and correction.	प्रभागीय वनाधिकारी, स्तर से होना है।
7	The 61 trees per hectare do not account for 0.5 density and the NPV calculation is also done for very dense forest which needs review. The State Govt may review the density and NPV and furnish revised density and NPV calculation	प्रभागीय वनाधिकारी, स्तर से होना है।
8	Working plan prescription provided is not clear in Part II.	प्रभागीय वनाधिकारी, स्तर से होना है।
9	The area proposed for diversion is prone to soil erosion and land slide but not mitigative measures to be taken during construction of road is provided in the proposal	प्रभागीय वनाधिकारी, स्तर से होना है।
10	The comments of DFO on impacts of construction of road on rare/endangered wildlife species in the area and mitigative measures to be taken may be furnished	प्रभागीय वनाधिकारी, स्तर से होना है।
11	Part I, II, III, IV and V which is provided in online web portal for the proposal is not enclosed with the hard copy.	Part-I के Additional information Detail के Sn.No-20 में Upload कर दिया गया है एवं पेज न0 03 में संलग्न है।

भवदीय



अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0

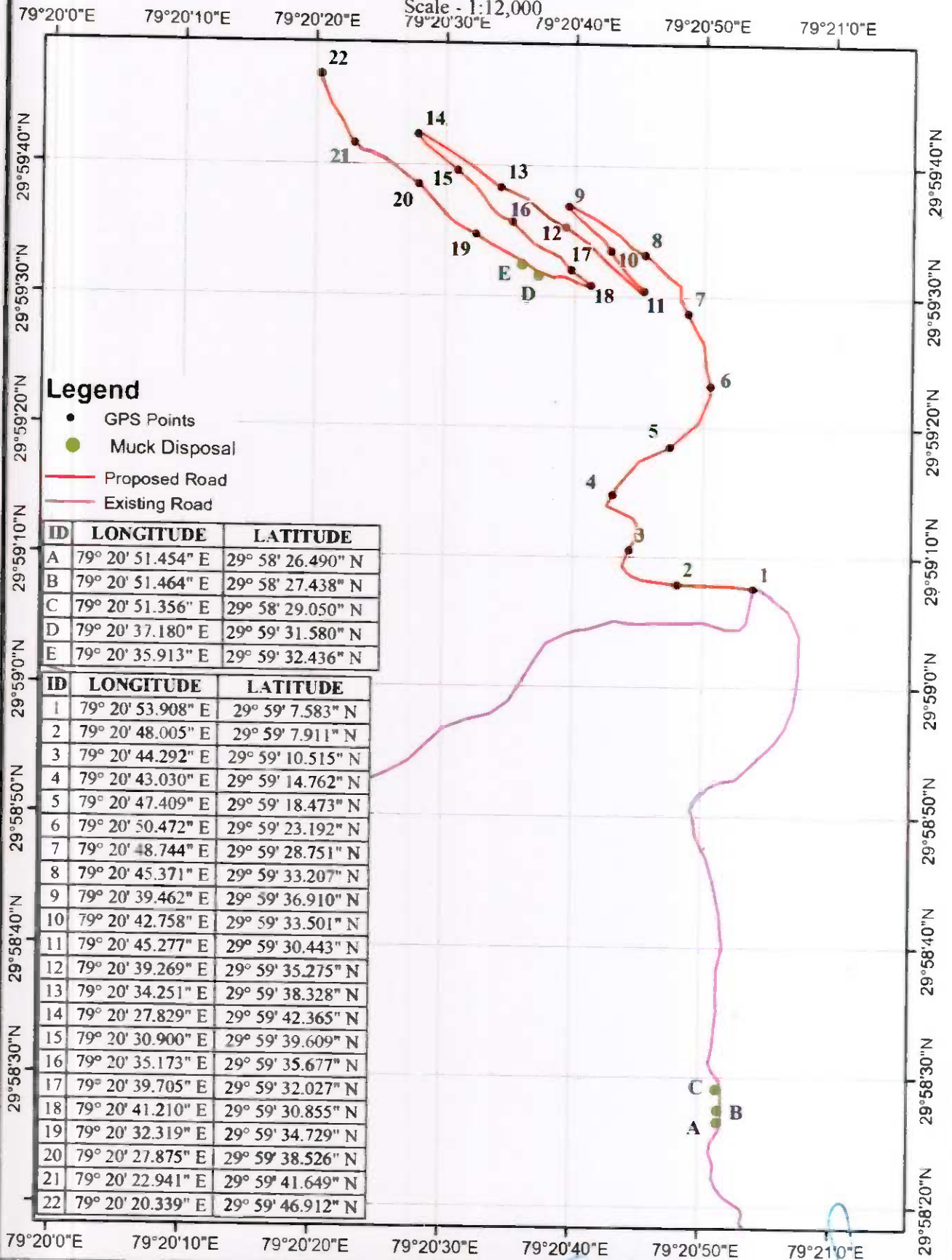
प्रखण्ड कर्णप्रयाग

जियो रेफरेंस मैप - डिजिटल मानचित्र - जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत बी०एम०बी० मोटर मार्ग के किमी० 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई - 4.00 कि०मी०

0 125 250 500 750 1,000 M



Scale - 1:12,000



Legend

- GPS Points
- Muck Disposal
- Proposed Road
- Existing Road

ID	LONGITUDE	LATITUDE
A	79° 20' 51.454" E	29° 58' 26.490" N
B	79° 20' 51.464" E	29° 58' 27.438" N
C	79° 20' 51.356" E	29° 58' 29.050" N
D	79° 20' 37.180" E	29° 59' 31.580" N
E	79° 20' 35.913" E	29° 59' 32.436" N

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 20' 53.908" E	29° 59' 7.583" N
2	79° 20' 48.005" E	29° 59' 7.911" N
3	79° 20' 44.292" E	29° 59' 10.515" N
4	79° 20' 43.030" E	29° 59' 14.762" N
5	79° 20' 47.409" E	29° 59' 18.473" N
6	79° 20' 50.472" E	29° 59' 23.192" N
7	79° 20' 48.744" E	29° 59' 28.751" N
8	79° 20' 45.371" E	29° 59' 33.207" N
9	79° 20' 39.462" E	29° 59' 36.910" N
10	79° 20' 42.758" E	29° 59' 33.501" N
11	79° 20' 45.277" E	29° 59' 30.443" N
12	79° 20' 39.269" E	29° 59' 35.275" N
13	79° 20' 34.251" E	29° 59' 38.328" N
14	79° 20' 27.829" E	29° 59' 42.365" N
15	79° 20' 30.900" E	29° 59' 39.609" N
16	79° 20' 35.173" E	29° 59' 35.677" N
17	79° 20' 39.705" E	29° 59' 32.027" N
18	79° 20' 41.210" E	29° 59' 30.855" N
19	79° 20' 32.319" E	29° 59' 34.729" N
20	79° 20' 27.875" E	29° 59' 38.526" N
21	79° 20' 22.941" E	29° 59' 41.649" N
22	79° 20' 20.339" E	29° 59' 46.912" N

AE
RWD (PMGSY)
JG

Executive Engineer
Rural Works Department
PMGSY
Division-Karanprayag

उप वन संरक्षक
जिला वन विभाग
(चमोली)

डिजिटल मानचित्र - जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत बी०एम०बी०
मोटर मार्ग के किमी० 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 Km



Legend

- Proposed Plantation Civil Soyam Land 5.46 ha
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता
सूची निर्माण विभाग
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड-कर्मप्रदाग

अधिसूची अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड-कर्मप्रदाग

विभागाधिकारी
चमोली

भाग-1

परियोजना विवरण :- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में बुंगीधार मैहलचौरी बछुवाबाण मोटर मार्ग के किमी 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग निर्माण 4.00 किमी०। हेतु 2.73 हे० सिविल / वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना /स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	गैरसैण में बुंगीधार मैहलचौरी बछुवाबाण मोटर मार्ग के किमी 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग का निर्माण।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	रु०. 280.00 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	निर्माण हेतु अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	परियोजना का क्षेत्रफल 5 हे० से कम है अतः लागू नहीं है।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	कृषि, पर्यटन, व्यापार इत्यादि।
2 कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	मार्ग निर्माण हेतु।
3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	
क) परिवारों की संख्या	शून्य।
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य।
ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?(हां/नहीं)	नहीं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक 04.11.16

स्थान कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड कर्णप्रयाग

अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड कर्णप्रयाग